

मुकाम

राज्य 3

बनाम

कुलकर्णी

P/S 212 B.T.H.

नं०

04

सन्

2018 A

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

25.11.2019

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

वकील-प्रति एवं-प्रति के -
निवेदन पर पञ्जाबी-अप-पेश-हुक
वकील-प्रति के निवेदन पर शर्कर
निवेदन दिया की तम-प्रति-प्रति
(सुप) एवं-प्रति के मय-प्रति-प्रति
के लिये से तम उक्त-प्रति-प्रति
के लिये विशेष-कार्य-कार्य-
कार्य के शर्कर-प्रति-प्रति-
(कार्य-प्रति-प्रति)

राज्य
Identified by
Rm/Keer.

अतः वकील-प्रति-प्रति-
के निवेदन पर-प्रति-प्रति-
कार्य-कार्य-कार्य-
प्रति-प्रति-प्रति-
उक्त-प्रति-प्रति-
प्रति-प्रति-प्रति-
के प्रत्यक्ष-कार्य-कार्य-
कार्य-कार्य-कार्य-
(कार्य-कार्य-कार्य)

सुरेश कुमार
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.), खीवसा

सेवा में



गणेश
५/१२/१९
२५/११/१९१९

श्रीमान सहस्रधर कलकटर (S.S.O.) महा.

खीवासर

प्राची

बनाम

अप्राचीण

रामचन्द्र

पुरवराज कोठ

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. ०५/१८

तारीख पेशी- 18.12.19

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा १२ R. 7 के अंतर्गत

आवेदन वास्ते पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली जाकर

राजस्व प्रार्थनापत्र जरिये विट्रोल खारिज करवाने का प्रस्ताव

श्रीमान जी

प्राची की ओर से निवेदन है कि -

- (1) यह है कि उपरोक्त अनवान का राजस्व प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजि में विचाराधीन है जिसकी तारीख पेशी दिनांक 18.12.19 को निघत है।
- (2) यह है कि प्राची का कुछ अप्राचीण से राजीनामा हो गया है तथा प्राची अपना प्रार्थनापत्र आगे चलाना नहीं चाहता है तथा प्रार्थनापत्र जरिये विट्रोल खारिज करवाना चाहता है।
- (3) यह है कि प्राची को अगर आवश्यकता होती है तो पुनः आवेदन पेश करने की अनुमति के साथ प्राची का प्रार्थनापत्र जरिये विट्रोल खारिज किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त

अनवान की पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली जाकर, प्राची को आवश्यकता होती है तो पुनः प्रार्थनापत्र पेश करने की अनुमति के साथ प्रार्थनापत्र जरिये विट्रोल खारिज किया जाने के आदेश करमावे।

दिनांक. 25-11-19

रामचन्द्र

अनवान/कलकटर